

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर (राज0)

पीठाधीन अधिकारी :- हरि राम भीना, आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील संख्या :- 79/2019

जी.सी.एम.एस. संख्या :- 2019/00157

उत्तमान

1. भरतलाल
2. कुंजी
3. सुखजी
4. जगमोहन
5. धनू पुत्र लोटन
6. शिवराज पुत्र लोटन
7. रामपति बेवा लोटन
8. लटूर पुत्र कजोडया
9. पानो बेवा रामदयाल
10. सोधे पुत्र रामदयाल
11. भीमू पुत्र जयलाल

पिसरान किशोरया

समस्त जाति भीना
निवासी उदेई खुर्द
तहसील वजीरपुर।

अपीलार्थीगण।

बनाम

1. धर्म
2. एसपी
3. डीजान
4. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर।

समस्त पिसरान जयनारायण जाति भीना
निवासी उदेई खुर्द तहसील वजीरपुर।

रेस्पोंडेन्टगण।

उपस्थित:-

1. श्री मोहम्मद इस्लाम अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
2. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 05।
3. रेस्पोंडेन्ट सं0 01 लगायत 04 अनुपस्थित।

हल
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर



0.16 हैक्टेयर बनता है। जिसका वर्तमान कायम रिकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 1939 रकबा 0.11 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1940 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर बनता है। जो कि लगभग 0.08 हैक्टेयर अधिक है। यह भाग वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1230/3 का हिस्सा है। मातहत अदालत ने वादीगण का दावा खारिज करके कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जावें।

6. हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। एकपक्षीय अधिवक्ता अपीलांत की बहस पर मनन किया गया।

7. मौका कमिश्नर रिपोर्ट तहसीलदार वजीरपुर दिनांक 20.11.2014 के अनुसार साबिक जक्शा ट्रेस की तहसील में अनुपलब्धता के कारण खसरा नम्बर 3366 से वर्तमान नक्शा ट्रेस से कौन-कौन से नम्बर बने है ? तथा हाल खसरा नम्बर 1940 के साबिक ट्रेस के अनुसार कौनसा साबिक नम्बर बना है, निश्चित नहीं किया जा सकता है।

8. अपीलांत द्वारा अपील मीमों या वाद पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि सैटलमेंट से पूर्व एकीकरण में उन्हें संपूर्ण रकबा मिला या नहीं और सैटलमेंट के बाद कितनी भूमि रही। इस प्रकार अपीलांत द्वारा अपने वादपत्र/अपील को साबित करने में असफल रहने के कारण अपील खारिज की जाती है। अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 17.10.19 को यथावत रखा जाता है।

9. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दपतर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 02.01.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीरा)
02/01/2023
राजस्व अपील प्राधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

डिफ़ी अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- बड़जलास श्री हरिराम भीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उत्नवान

1. भरतलाल
2. कुंजी
3. सुखजी
4. जगनोहन
5. धनू पुत्र लोटन
6. शिवराज पुत्र लोटन
7. रामपति बेवा लोटन
8. लदूर पुत्र कजोडया
9. पानो बेवा रामदयाल
10. राधे पुत्र रामदयाल
11. मोन्दू पुत्र जयलाल

भिसरान किशोरया

समस्त जाति भीना
निवासी उदेई खुर्द
तहसील बजीरपुर।

...अपीलाधीनगण।

बनाम

1. फूल
2. धर्म
3. एसपी
4. डीजान
5. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बजीरपुर।

समस्त भिसरान जयनारायण जाति भीना
निवासी उदेई खुर्द तहसील बजीरपुर।

...रेसपोडेन्टगण।

अपील संख्या :79/2019

जी.सी.एम.एस संख्या :2019/00157

अपील विरुद्ध आज्ञा: सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी

(धारा 223 आर.टी.एक्ट)

दिनांक 02.01.2023

यह अपील व तारीख 02.01.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम अधिवक्ता अपीलॉट व हाजरी श्री पैरोकार सरकार एड. मिनजानिब रेसपो. सभागत के लिए पेश होकर हुआ कि अपील अपीलॉट खारिज की जाती है। अदालत मातहत सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी जिला सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2019 बउनवान भरतलाल वगैरह बनाम शूभा वगैरह को यथावत रखा जाता है। बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 02.01.2023 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर अधिकाारी व मुहर
राजस्व अपील अधिकाारी
सवाई माधोपुर